



01.12.2020

अभिलेख उपस्थापित। झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 से प्राप्त निदेश की कंडिका 9(ii) में वर्णित है कि अंचल अधिकारी के द्वारा अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी हेतु चिन्हित भूमि का रद्द करने हेतु खोले गए अभिलेख में ही सभी दस्तावेजों के सत्यापन एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात् पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त आदेश पारित करेंगे एवं तदनुरूप ऑनलाईन लगान निर्गत करेंगे। इस निदेश के बाद अभिलेख को भूमि सुधार उप समाहर्ता/अनुमण्डल पदाधिकारी को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्र के आलोक में संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का भौतिक अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

  
अंचल अधिकारी,  
पोडैयाहाट।


  
1-12-2020  
अंचल अधिकारी,  
पोडैयाहाट।


05-12-2020

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा नवडीहा थाना सं0-47 के गैरमजरूआ खाता सं0-192 के अंदर दाग सं0-2000 कुल खतियानी रकवा 19-15-10 धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी 2 अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं0 2000 के अंदर अंश रकवा 1.50 एकड़ भूमि अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं0 210/76-77 से झारी चौडे पिता पाँचु चौडे के नाम से खाता सं0 192मी0 में दर्ज है। जांच के क्रम में बंदोबस्तदार/वंशज के द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। स्थलीय जांच में पाया कि उक्त बंदोबस्त भूमि को बंदोबस्तदार के वंशज द्वारा जोत-कोड कर खेती किया जा रहा है। फोटो प्रति संलग्न। मुख्य सचिव झारखण्ड सरकार, राँची के पत्रांक 04-स0भू0-(दिशा निर्देश) 95/2016 राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची दिनांक 13.05.2016 के आलोक में संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी वाद सं0- 173/2016-17 में वर्णित भूमि की बंदोबस्ती झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक सं0 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 एवं पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में वैध प्रतीत होता है, जिसे नियमित करने की अनुशंसा किया है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 6144/रा0 दिनांक 21.12.2017 तथा पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा0 दिनांक 15.07.2020 के आलोक में संचित कर बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर मौजा नवडीहा थाना सं0 47 खाता सं0 192मी0 खेसरा सं0 2000 के अंश रकवा 1.50 एकड़ किस्म- परतीकदीम भूमि की झारी चौडे पिता पाँचु चौडे के साथ कायम जमाबंदी को नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित  
  
अंचल अधिकारी,  
पोडैयाहाट।

  
5-12-2020  
अंचल अधिकारी,  
पोडैयाहाट।